ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

शिक्षक शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण : समीक्षात्मक अध्ययन

1 **अमितेश कुमार सिंह**

1 असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ)

Received: 01 May 2019, Accepted: 01 June 2019 ; Published on line: 05 June 2019

Abstract

वर्तमान समय में शिक्षक शिक्षा अन्य व्यावसायिक शिक्षा की तरह महंगी एंव निजीकरण की ओर अग्रसर हैं। शिक्षक शिक्षा का निजीकरण अवने आप में अनेक सवाल पैदा कर रही हैं जो शिक्षक शिक्षा के लिए लाभ से ज्यादा हानिकारक साबित हो रही हैं। व्यवसायीकरण ने शिक्षक शिक्षा को बाजार के हवाले कर मुनाफा कमाने का व्यवसाय बन चुका हैं। कुकुरमुत्तो की तरह उग चुके शिक्षक शिक्षा संस्थान निजीकरण एंव व्यवसायीकरण के प्रवाह में अग्रसर हैं जो शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता एंव सार्थकता को प्रभावित कर रहे हैं।

संकेत शब्द– शिक्षक शिक्षा, शिक्षा का निजीकरण, गुणवत्ता एवं शैक्षिक व्यवसायीकरण।

प्रस्तावना

21वीं सदी में सम्पूर्ण विश्व एक वैश्विक ग्राम के रूप में नजर आ रहा है क्योंकि वर्तमान के अत्यधिक उन्नतशील संचार एवं यातायात के साधनों ने क्षेत्रीय एवं भौगोलिक विस्तार को लगभग समाप्त कर दिया है। वर्तमान में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर निर्भर है, जिस कारण इनकी गतिविधियों का प्रभाव एक दूसरे पर अवश्य ही पड़ता है। शिक्षा के सन्दर्भ में यदि देखा जाये तो, एक राष्ट्र की शिक्षा एवं शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित घटना या विचारों का दूसरे राष्ट्रों पर भी सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक तत्वों का आत्मसातीकरण एवं नकारात्मक तत्वों का त्याग करने का कार्य राष्ट्र के कुशल शिक्षक व प्रशासक ही करते है।

कोठारी आयोग (1964–65) के शब्दों में –

''भारत की भावी पीढ़ी का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। इक्कीसवीं सदी के भारत में यह पीढ़ी कुशल सम्भावनाओं से परिपूर्ण मानव संसाधन का अभिन्न अंग होगी। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कक्षाओं में निर्मित होने वाली भावी पीढ़ी एवं उसके कौशलों से युक्त मानव संसाधन बनाने में कुशल शिक्षकों का योगदान अहम होगा। कुशल शिक्षकों के निर्माण हेतु सुगठित, सुनियोजित, एवं उपयुक्त शिक्षक शिक्षा का होना आज की आवश्यकता है, जिसका गठन आज राज्य एवं राष्ट्र की सर्वप्रमुख चुनौती हैं।''

शिक्षक न केवल शिक्षार्थी को पढ़ाता है बल्कि उसका, भावी जीवन में समायोजन के लिये दिशा निर्देशन भी करता है। शिक्षार्थी, जीवन रूपी सागर में एक उद्देश्यविहीन जहाज के समान होता है तथा शिक्षक रूपी दीप स्तम्भ उसे अपने गन्तव्य तक पहुँचने में सहायता करता है। वास्तव

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

में, शिक्षक अपने प्रयासों से भावी समाज की संरचना करता है इसीलिये कुशल शिक्षक को सामाजिक अभियन्ता की पदवी भी प्रदान की गयी है। आज के उभरते भारत में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा का आदान–प्रदान पूर्णतः शिक्षकों की गुणवत्ता पर निर्भर है। शिक्षकों की गुणवत्ता, शिक्षक–प्रशिक्षकों की व्यवसायिक दक्षता, शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं के उत्साह, प्रतिवद्धता एवं संरचनात्मक ढाँचा, अकादमिक एवं शोध आधारित नवाचारी विचार व विकास तथा सर्जनापूर्ण अध्यापन एवं पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है।

वर्तमान भारत में, कारपोरेट जगत से शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रह गया है। हो भी क्यों न ध इससे उसे दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है– पहला शिक्षा में बार–बार निवेश किये बिना दीर्घकाल तक धन की प्राप्ति। दूसरा, शिक्षा में नियन्त्रण के द्वारा नयी पीढ़ी की मानसिकता को बाजार के अनुकूल कर अपने बाजार का निर्बाध रूप से विस्तार करना।

इस प्रकार कारपोरेट जगत ने अपने हितों के लिये शिक्षा का निजीकरण एवं व्यवसायीकरण करके उसे क्रय–विक्रय की वस्तु बना दिया है।

शिक्षक–शिक्षा का निजीकरण एंव व्यवसायीकरण

निजीकरण एंव व्यवसायीकरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इनका इतिहास लगभग चार–पांच दशक पुराना है। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम 'पीटर एफ0 ड्रकर'' ने अपनी पुस्तक ''दी एज ऑफ डिस्कांटीन्यूटी'' में सन् 1960 में किया था। भारत में निजीकरण एवं व्यवसायीकरण की प्रक्रिया दो दशक पूर्व से शुरू हुयी है। निजीकरण का तात्पर्य है– स्वामित्व में परिवर्तन यानी सरकारी स्वामित्व के स्थान पर किसी निजी व्यक्ति/ कम्पनी अथवा उद्यमी/ व्यवसायी का स्वामित्व होना। सामान्यतः धारणा यह है कि निजीकरण के फलस्वरूप निष्पादन कार्य में अनिवार्यतः सुधार आता है। शिक्षा का निजीकरण हमारी अर्थव्यवस्था के निजीकरण की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। निजी क्षेत्र केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों व सस्थानों में निवेश करने में सक्रिय रहता है, जहां उसे अधिकतम लाभ हो रहा है। नतीजन, व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की मांग बढ़ती जा रही है तथा सामाजिक व मानविकी पाठ्यक्रम दर किनारे होते जा रहे हैं।

शिक्षक–शिक्षा के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण के प्रभावों का विश्लेषण–

1. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की अप्रत्याशित वृद्धि

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् जिस प्रकार शिक्षक'–शिक्षा के महाविद्यालयों को खोलने की स्वीकृति प्रदान कर रही है, यह बेहद दुखदः पूर्ण है। क्योंकि अधिकतर महाविद्यालय परिषद् द्वारा स्थापित मापदण्डों की अवहेलना कर रहे हैं। जहां सन् 1956 से 1995 तक केवल 36 डीम्ड विश्वविद्यालय थे, वही वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 130 एवं निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी लगभग 113 पहुंच गयी है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अध्ययन–अध्यापन एवं शोध का स्तर प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक है कि सभी प्रकार के शिक्षक–शिक्षा संस्थानों को मान्यता तभी प्रदान की जाये जब वे स्थापित मापदण्डों का कठोरता पूर्वक पालन करें। साथ

ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एवं मूल्याकंन एवं प्रत्यापन परिषद भी समय–समय पर व्यवसायिक नजरिये को परे रखकर ईमानदारी से अपने मापदण्डों का मूल्याकंन करती रहे।

2. संस्थानों में भौतिक सुविधाओं का अभाव

यद्यपि, प्रमुख निजी संस्थानों का बुनियादी ढांचा, सरकारी संस्थानों की तुलना में बेहतर है परन्तु शेष निजी संस्थानों में भौतिक सुविधाओं की कमी है। अधिकांशतः प्रशिक्षण संस्थानों के पास अपने प्रदर्शन स्कूल, पुस्तकालय, खेल के मैदान , क्राफ्ट रूम, प्रयोगशाला और छात्रावास आदि की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाएं शिक्षक शिक्षा के गुणात्मक विकास में बाधक रही है और आज भी है। अतः ऐसे निम्न स्तरीय शिक्षक– शिक्षा संस्थाओं को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिये। शिक्षक शिक्षा विभागों की स्थापना करते समय कुछ निश्चित मानकों एवं सुविधाओं का अनुसरण करना चाहिए। जैंसे पुस्तकालय, प्रयोगशलांए, उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकें, सन्दर्भ ग्रन्थ, पत्रिकाएं आदि की उपलब्धता हो। साथ ही समय–समय पर संस्थानों में सेमिनारों, गोष्ठियों व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाये। ताकि शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य को बढ़ावा मिल सके। प्रत्येक बी0एड0 महाविद्यालय से एक प्रदर्शन विद्यालय को सम्बद्ध कर देना चाहिए ताकि भावी शिक्षकों को शिक्षण–अभ्यास के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सकें।

3. नैतिक मूल्यों व आदर्शों का संकट

निजीकरण की छत्रछाया में, संस्थानों में ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश हो रहा है जो इस व्यवसाय के योग्य ही नहीं है क्योंकि वर्तमान में प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशार्थियों के चुनाव के दो मुख्य आधार हैं– धन व सिफारिश। ऐसी स्थिति में निम्न योग्यताओं के व्यक्तियों का चुनाव हो जाता है। जबकि उच्च मानसिक योग्यताओं एवं शिक्षण में अभिरूचि रखने वाले व्यक्ति प्रवेश पाने से वचिंत रह जाते हैं। परिणाम स्वरूप, ऐसी शिक्षण संस्थानों से उपाधिधारी शिक्षकों में विद्यार्थी, विषय, व्यवसाय एवं समाज के प्रति प्रतिबद्धता समाप्त हो रही है। उनके नैतिक मूल्यों एवं आदर्शो में गिरावट आ रही है। अतः प्रशिक्षण संस्थानों में केवल उन प्रशिक्षार्थियों को ही प्रवेश मिल सके जो वास्तव में, शिक्षण व्यवसाय के योग्य व अनुकूल हों।

4. अव्यवहारिक व अप्रासंगिक पाठ्यक्रम

वर्तमान में निजी व सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रचलित पाठ्यक्रम अव्यवहारिक व अप्रासंगिक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भावी शिक्षकों, को विद्यालय शिक्षण का व्यावहारिक अनुभव देने के लिये इसे पाठयक्रम में शामिल करने की सिफारिश की है परन्तु पर्याप्त संसाधनों के अभाव के कारण ज्यादातर प्रशिक्षण संस्थाएं इस अनुभव को प्रदान करने में असमर्थ हैं। साथ ही माइक्रोटीचिंग तथा कम्प्यूटर आधारित शिक्षण जैसी प्रविधियों का केवल पाठ्यपुस्तकों में जिक्र होना ही पर्याप्त नहीं है वरन् उनका व्यवहारिक प्रशिक्षण व अनुभव भी प्रदान किया जाना चाहिए।

5. नियोजन की लचर व्यवस्था

वर्तमान में शिक्षक–शिक्षा के पाठ्यक्रमों में नियोजन की व्यवस्था का पूर्णतः अभाव है। राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर विषयों के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, इसके विषय में पता

ISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 2, Issue 01, Jan 2019

लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक ओर किन्हीं विषयों में शिक्षकों का नितांत अभाव है वहीं दूसरी ओर कुछ विषयों के शिक्षक अध्यापक शिक्षा की उपाधियां लेकर नौकरियों की तलाश में इधर–उधर भटक रहें है। और शिक्षा महाविद्यालय उन्हीं क्षेत्रों में बड़े स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे है। जबकि वे उन विषयों का अनदेखा कर रहे है, जिनमें शिक्षक बहुत तलाश करने पर कठिनाई से मिल पाते है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापकों में निराशा का भाव उत्पन्न होने लगा है ओर वो आसानी से शोषण का शिकार हो जाते है फलस्वरूप, निजी नियोजक बहुत कम वेतन पर नौकरी देते है अकसर देखा तो यह भी जा रहा है कि बहुत से शिक्षक निर्माण कार्य में लगे दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिकों से भी कम धन राशि प्राप्त कर रहे है। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में नियुक्त किये जाने वाले व्याख्याताओं की संख्या NCTE द्वारा निर्धारित की गई है। किन्तु सरकारी नीतियों के कारण इन निजी संख्याओं में इन मानदण्डों की धज्जियां उडायी जा रही हैं। सरकारी निरीक्षण होने पर केवल एक–दो दिन के लिये सम्पूर्ण वांछित योग्यताओं वाला किराये का स्टाफ नजर आता है। सांराशतः उक्त अव्यवस्थाओं के लिये शिक्षक शिक्षा का व्यवसायीकरण पूर्णत दोषी है। समय की आवश्यकता है कि शिक्षकों के नियोजन पर एक ठोस राष्ट्रीय नीति का निर्माण सुनिश्चित करके उसे ईमानदारी और मजबूत इरादे के साथ क्रियान्वित किया जाये।

6. शिक्षक–शिक्षा विभाग का अलगाव

भारत के ज्यादातर विश्वविद्यालयों में शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एक पृथक विभाग के अन्तर्गत की जाती है। ये प्रशिक्षण संस्थान अन्य किसी विभागों, महाविद्यालयों एवं स्थानीय स्कूलों से अपना सम्पर्क स्थापित करने में असफल होते है। जिस कारण विश्वविद्यालयों में होने वाले अनुसंधान कार्यो एवं नवीन मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों के बारे में जानकारी, इन प्रशिक्षण सस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्रशिक्षु शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाती है। फलस्वरूप शिक्षक–प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होता है अतः इनमें आपस में सामान्जस्य स्थापित करना आवश्यक है।

7. शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थनों की स्थापना में क्षेत्रीय असन्तुलन

स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की मात्रात्मक वृद्धि हुयी है। शिक्षक–शिक्षा के क्षेत्र में भी अनियोजित एवं अव्यवस्थित ढ़गं से नियमो को दर किनार करते हुये नये–नये संस्थानों की स्थापना हो रही है। ऐसी समस्या निजीकरण एवं व्यवसायीकरण के कारण उत्पन्न हो रही है। दूसरे शब्दों मे, यह मांग व पूर्ति के सिद्धान्त पर क्रियान्वित होती जा रही है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की तुलना में अधिकता है और कुछ में इन संस्थानों की उपलब्धता जरूरत से कम है। परिणामतः सभी योग्य प्रतिभाओं के साथ न्याय नहीं हेा पाता है।

8. वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता का अभाव–

निजी शिक्षक शिक्षा संस्थानों में वित्तीय व्यस्था में पारदर्शिता मे बेहद कमी है। ये संस्थान अपनी आय (फीस अनुदान आदि) की तुलना में, संस्थान के बुनियादी ढाँचे के विकास एवं अनुसंधान कार्यो में, बहुत कम धनराशि व्यय करते हैं। तथ्यात्मक रूप से यह सभी लाभ उन्मुख संस्थान है।

तथा अपने प्रबन्धन समूहों , मालिकों एवं उनके परिवार के लिये धन कमाने के एक साधन मात्र हैं। निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों का यह सबसे कमजोर पक्ष होने के कारण उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

9. निजीकरण का शिक्षकों के व्यवसायिक संगठनों पर प्रभाव

सामान्य अर्थो में, शिक्षकों के संगठन, जिनको प्रचलित भाषा में शिक्षक संघ कहा जाता है, इस उद्देश्य से निर्मित राजनैतिक संस्थाएं होती हैं, जो नियोक्ताओं पर अपनी माँगे मनवाने, अधिकारों व स्टेटस के लिये संधर्ष करें तथा इनकी पूर्ति के लिये दबाव डालें। भारतीय शिक्षा आयोग ने 1966 में कहा भी था कि ''अध्यापक संगठनों का निर्माण किया जाना चाहिये, जिन्हें अपने प्रकाशनों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण, राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिये कोशिश करनी चाहिए।''किन्तु कुछ प्रमुख निजी संस्थानों को छोड़कर, अधिकांशत निजी प्रशिक्षण संस्थानों में इस तरह संगठनों को प्रोत्साहन करना तो दूर उनके निर्माण करने पर ही अकुंश लगा दिया जाता है।

10. निजी विदेशी संस्थाओं का आगमन

सामान्यतः निजी विदेशी संस्थाओं का भारत में शिक्षा के क्षेत्र में आगमन निजीकरण की प्रतिक्रिया का ही परिणाम है। अमेरिकी इन्वेस्टमेंन्ट कंसलेटेन्ट रॉबेट लिट्ले भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैम्पस खोलने के लिये एड़ी–चोटी का जोर लगा रहे है। इस तरह का प्रयास केवल लिट्ले ही नहीं वरन् अन्य कम्पनियां भी कर रहीं हैं।

अमेरिका एवं यूरोपीय शिक्षा माफियाओं व बैंकों की गिद्ध दृष्टि भारत में शिक्षा क्षेत्रों पर निरन्तर पड़ रही है। इन विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्थान पाने का अब तो कानून भी पारित हो गया है। इन विदेशी विश्वविद्यालयों से भारत की शिक्षा व संस्कृति पर प्रहार की सम्भावना स्पष्ट दिखायी दे रही है। मैक्स मूलर ने लिखा भी था कि “We Have Conquered India Once We Shall Conquered It Again Through Education ”(हम शिक्षा के माध्यम से दोबारा जीत प्राप्त करेगें) इन पाश्चात्य विश्वविद्यालयों में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रवेश पाने के इच्छुक होगें। साथ ही इनमें बेहतर वेतनमान होने के कारण शिक्षकों की प्रतिभा का भी पलायन होगा। जिसके कारण भारत में पहले से स्थापित विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व के लिये संघर्ष करेगें। अतः इसका शिक्षा के साथ–साथ शिक्षक–शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ना अपेक्षित है। निर्ष्कषतः हमें दो बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, इन निजी विदेशी संस्थानों को कड़े मूल्याकंन एवं देश हित की नीतियों के साथ आगमन की अनुमति प्रदान की जाये। दूसरा, देश को अपने स्थापित विश्वविद्यालायों को पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ स्तरीय बनाना होगा।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में शिक्षा के गिरते हुये स्तर को देखते हुये शिक्षक–शिक्षा को बदलने की एक बहस सी छिड़ गयी है। इन बुनियादी बदलावों तथा अनेक नये प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के

लिये सरकार को बड़ी पूंजी की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय में सम्भव नहीं दिखती। अतः शिक्षक–शिक्षा का निजीकरण एक दूसरा विकल्प बचता है।

उदारीकरण के इस युग में आर्थिक स्थिति को देखते हुये शिक्षा और शिक्षक–शिक्षा दोनों में निजीकरण की भागीदारी व्यवहारिक भी है किन्तु निजीकरण की प्रक्रिया को अपनाते समय इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि निजीकरण से इन पर कोई दुष्प्रभाव न पड़े। हर्ष का विषय है, कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाए इस संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।

सारांशतः शिक्षक–शिक्षा के निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में आम्ल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है तथा इनमें व्याप्त विसंगतियों को दूर कर दोनों क्षेत्रों को एक दूसरे के पूरक और सहयोगी बनाकर संचालित किये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ–सूची

1. MHRD. (1983-85). The teacher and socity: Report of national commision on teacher Chattopadhaya committee reports, New Delhi: Government of India.
2. Kothari Commision Reports (1964-66). New Delhi: MHRD.
3. Shukla, R.P., Singh, N.V. & Tripathi, R. (2010). A study of responsce of prospective teachers on exisiting bachalor of education Course. E-Journals of all India Association for Educational Research.
4. MHRD. (2012). Vision of teacher Education of India- Qaulity and Regulation Perspective: Report of the high- powerd Commision on teacher Education, New Delhi: Govt of India.
5. NCTE. (1998). Policy perspectives in Teacher Education: Critique and Documentation, New Delhi: NCTE Publication.
6. NCTE. (1999). Compentency based and commitment oriented teacher education for quality school education, Teacher today, Vol.41, No.3
7. भट्टाचार्य, जी.सी. (2017). अध्यापक शिक्षा, आगराः अग्रवाल पब्लिकेशन।
8. NCTE. (1998). Curriulum Framework for Quality Teacher Education, New Delhi: NCTE.
9. NCTE. (1996). Adhyapak Shiksha ka Pathcharya Praroop (in Hindi), New Delhi: NCTE.